

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 628]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2013/पौष 9, 1935

No. 628]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2013/PAUSHA 9, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) (केंद्रीय कार्यालय) अधिसूचना मुब्बई, 12 नवम्बर , 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अम्ररण अथवा निर्गम) (सत्रहवा। संभ्रोधन) विनियमावली, 2013

सा. का. नि. 805(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उ□-धारा (3) के खष्ट (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अम्लरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना स□ फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संधोधन करता ह्य अर्थात:-

1. सिक्षत नाम और प्रारक्ष .—

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अञ्चरण अथवा निर्गम) (सत्रहवा□संश्वोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएंश्वो।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजात्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम 5 में सधोधन

विदेशी मुद्रा प्रबध्ध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अतारण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना स□ फेमा.20/2000-आरबी) में, विनियम 5 में, 3□-विनियम (1) में, खष्ठ () में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात :-

"इसके अलावा अम्तर्निहित आप्शनिक्तिटी उपबिधा के साथ शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों, किन्तु जिनमें किसी आश्वासित कीमत पर निवेश से बाहर जाने के विकल्प/अधिकार न हों, की गणना पात्र लिखतों में की जाएगी जिन्हें भारतीय क्यानी द्वारा अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अम्वर्गत भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को जारी किया जा सकेगा"।

3. विनियम 9 में सधोधन

विनियम ९ में, उप-विनियम १ में, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात :-

5485 GI/2013 (1)

"इसके अलावा, न्यूनतम एक साल की अवरुद्धता अविध (-) अथवा अनुसूची 1 के साम्रग्नक "बी" के अम्वर्गत विनिर्दिष्ट न्यूनतम अवरुद्धता अविध (-), में से जो भी उच्चतर हो, के अधीन भारतीय क्यानी के अम्वर्निहित आप्शनिविटी उ□बिधों वाले शेयरों और □रिवर्तनीय डिबेंचरों का धारक भारत से बाहर का कोई निवासी व्यक्ति इन विनियमों के अनुसार और विकल्□/अधिकार का प्रयोग करते हुए, बिना आधासित प्रतिफल के, निम्नलिखित शर्तों के तहत निवेश से बाहर जा सकता ह्य

- (İ) सूचीबद्ध क्यानी के मामले में, मान्यताप्राप्त एक्स्चेंजों 🛮 र निर्धारित हुए बाजार मूल्य 💵 र;
- (ii) गष्ट-सूचीबद्ध क्यानी के ईक्विटी शेयरों के मामले में उस कीमत से अनिधक कीमत □र जो नवीनतम लेखा□रीक्षित तुलन□त्र में ईक्विटी □र प्रतिफल () के आधार □र आकलित हुई हो। उल्लेखानुसार ईक्विटी से लिप्टड प्रतिफल की अनुमति देने वाले किसी करार को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का उल्लाधन नही□माना जाएगा।

स्⊔ष्टीकरण- ईक्विटी ⊔र प्रतिफल () का तात्पर्य होगा कर के बाद लाभ⁄ निवल मालियत। निवल मालियत में सभी मुक्त प्रारक्षित निधिया⊔और प्रदत्त पूजी शामिल होगी।

(iii) अधिमानी शेयरों अथवा डिबेंचरों के मामले में उस कीमत 🛮 र जिसे निवेश से बाहर जाने के समय, किसी अप्तर्राष्ट्रीय रू से स्वीकार किए गए कीमत निर्धारण के तरीके से आकलित किया गया हो एव प्यासनदी लेखाकार अथवा सेबी के 🗘 स प्राप्तिकृत मर्चेंट बैंकर द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। इस सब्धा में मार्गदर्शी सिद्धाप्त यह होगा कि अनिवासी निवेशक को निवेश / करार करते समय उसके द्वारा निवेश से बाहर जाते समय किसी आश्वासित प्रतिफल की गारदी न दी जाए और न्यूनतम अवरुद्धता अविध (lock-in per) की शर्त के तहत, निवेश से बाहर जाते समय वह प्रचलित कीमत 🗘 निवेश से बाहर जा सकेगा।"

[सफ्रेमा.294/2013-आरबी]

रुद्र नारायण कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबधक

फुट नोटः मूल विनियमावली सरकारी राज□त्र के भाग 11, खष्ठ 3, 3□ खष्ठ (i), में 8 मई 2000 के सा. का. नि. साष्ट्रया. 406(अ) के जरिये प्रकाशित और तत्□श्वात् निम्नलिखित द्वारा साध्योधित की गयी थी :

सा. का. नि. स🛘 १५८(अ) दिनाक्व ०२.०३.२००१	सा. का. नि. स🛭 ७३७(अ) दिनाक्व २९.११.२००७
सा. का. नि. स□ 175(अ) दिनाक्व 13.03.2001	सा. का. नि. स🛭 ५७५(अ) दिनाक्व ०५.०८.२००८
सा. का. नि. स□ 182(अ) दिनाक्व 14.03.2001	सा. का. नि. स🛭 ८९६(अ) दिनाक्व ३०.१२.२००८
सा. का. नि. स🛭 ४(अ) दिनाक्व ०२.०१.२००२	सा. का. नि. स🛭 ८५१(अ) दिनाक्व ०१.१२.२००९
सा. का. नि. स🛭 574(अ) दिनाक्र 19.08.2002	सा. का. नि. स🛭 ३४१ (अ) दिनाक्व २१.०४.२०१०
सा. का. नि. स0 223(अ) दिनाक्व 18.03.2003	सा. का. नि. स0 606(अ) दिनाक्व 03.08.2012
सा. का. नि. स🛘 २२५(अ) दिनाक्व १८.०३.२००३	सा. का. नि. स🛭 ७७५(अ) दिनाक्व
30.10.2012	
सा. का. नि. स□ 558(अ) दिनाक्व 22.07.2003	सा. का. नि. स🛭 ७७६(अ) दिनाक्व
30.10.2012	
सा. का. नि. स🛘 835(अ) दिनाक्व 23.10.2003	सा. का. नि. स0 ७७७(अ) दिनाक्व ३०.१०.२०१२
सा. का. नि. स🛭 ८९९(अ) दिनाक्त २२.११.२००३	सा. का. नि. स0 821(अ) दिनाक्व 10.11.2012
सा. का. नि. स🛭 १२(अ) दिनाक्व ०७.०१.२००४	सा. का. नि. स🛘 ९४५(अ) दिनाक्व ३१.१२.२०१२
सा. का. नि. स🛭 २७८(अ) दिनाक्त २३.०४.२००४	सा. का. नि. स🛘 ९४६(अ) दिनाक्व ३१.१२.२०१२
सा. का. नि. स🛘 ४५४(अ) दिनाक्त १६.०७.२००४	सा. का. नि. स□ 38(अ) दिनाक्व 22.01.2013
सा. का. नि. स0 625(अ) दिनाक्व 21.09.2004	सा. का. नि. स□ 515(अ) दिनाक्व 30.07.2013
सा. का. नि. स🛭 ७९९(अ) दिनाक्र ०८.१२.२००४	सा. का. नि. स🛘 ५३२ (अ) दिनाक्व ०५.०८.२०१३
सा. का. नि. स🛘 २०१(अ) दिनाक्व ०१.०४.२००५	सा. का. नि. स□ 341(अ) दिनाक्व 28.05.2013
सा. का. नि. स🛭 २०२(अ) दिनाक्र ०१.०४.२००५	सा. का. नि. स🛘 ३४४(अ) दिनाक्व २९.०५.२०१३
सा. का. नि. स🛭 504(अ) दिनाक्व 25.07.2005	सा. का. नि. स🛘 195(अ) दिनाक्व 01.04.2013
सा. का. नि. स🛘 505(अ) दिनाक्व 25.07.2005	सा. का. नि. स□ 393 (अ) दिनाक्व 21.06.2013
सा. का. नि. स🛭 513(अ) दिनाक्व 29.07.2005	सा. का. नि. स□ 591 (अ) दिनाक्व 04.09.2013
सा. का. नि. स🛭 ७३८(अ) दिनाक्त २२.१२.२००५	सा. का. नि. स□ 596 (अ) दिनाक्व 06.09.2013
सा. का. नि. स0 29 (अ) दिनाक्त 19.01.2006	सा. का. नि. स□ 597 (अ) दिनाक्व 06.09.2013
सा. का. नि. स0 413 (अ) दिनाक्व 11.07.2006	सा. का. नि. स🛘 681 (अ) दिनाक्त 11.10.2013

सा. का. नि. स \square 712 (अ) दिनाष्ट्र 14.11.2007 सा. का. नि. स \square 682 (अ) दिनाष्ट्र 11.10.2013 सा. का. नि. स \square 713 (अ) दिनाष्ट्र 14.11.2007 सा. का. नि. स \square 683 (अ) दिनाष्ट्र 11.10.2013

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th November, 2013

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Seventeenth Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 805 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), namely:-

1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident Outside India) (Seventeenth Amendment) Regulations, 2013.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 5

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, (Notification No.FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), in Regulation 5, in sub-Regulation (1), in clause (i), the following shall be added, namely:-

"Further, shares or convertible debentures containing an optionality clause but without any option/right to exit at an assured price shall be reckoned as eligible instruments to be issued to a person resident outside India by an Indian company subject to the terms and conditions as specified in Schedule I."

3. Amendment to Regulation 9

In Regulation 9, in sub-regulation 1, the following shall be added, namely:-

"Further, subject to minimum lock-in period of one year or minimum lock-in period as prescribed under Annex-B of Schedule 1 whichever is higher, a person resident outside India holding the shares or debentures of an Indian company containing an optionality clause in accordance with these Regulations and exercising the option/right, may exit without any assured return, subject to the following conditions:

- (i) In case of listed company, at the market price determined on the floor of the recognised stock exchanges;
- (ii) In case of equity shares of unlisted company, at a price not exceeding that arrived on the basis of Return on Equity (RoE) as per latest audited balance sheet. Any agreement permitting return linked to equity as above shall not be treated as violation of FDI policy.

Explanation - RoE shall mean Profit After Tax / Net Worth; Net worth would include all free reserves and paid up capital.

(iii) In case of Preference shares or debentures, at a price worked out as per any internationally accepted pricing methodology at the time of exit, duly certified by a Chartered Accountant or a SEBI registered Merchant Banker. The guiding principle would be that the non-resident investor is not guaranteed any assured exit price at the time of making such investment/agreements and shall exit at the price prevailing at the time of exit, subject to lock-in period requirement."

[No.FEMA. 294/2013-RB] RUDRA NARAYAN KAR , Chief General Manager-in-Charge

Foot Note:-The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001	G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001	G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001	G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002	G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002	G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010
G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003	G.S.R.No.821 (E) dated 10.11.2012
G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003	G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003	G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003	G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003	G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004	G.S.R. No.945(E) dated 31.12.2012
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004	G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004	G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004	G.S.R.No.515(E) dated 30.07.2013
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004	G.S.R.No.532(E) dated 05.08.2013
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005	G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005	G.S.R.No.344(E) dated 29.05.2013
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005	G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005	G.S.R.No.393(E) dated 21.06.2013
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005	G.S.R.No.591(E) dated 04.09.2013
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005	G.S.R.No.596(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006	G.S.R.No.597(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006	G.S.R.No.681(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007	G.S.R.No.682(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007	G.S.R.No.683(E) dated 11.10.2013